न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर
पीठासीन अधिकारी –जगदीश आर्य

अव.प्रार्थना पत्र संख्या 08/2019 तारीख रजू 16.09.2019

1. सुरेश पुत्र सीताराम नाई निवासी करीरा खुर्द तहसील खण्डार जिला सवाई माधोपुर

.....प्रार्थी

बनाम

1. मिन्तोष पत्नि बृजेश बैरवा निवासी रावरा सरपंच ग्राम पंचायत गोठडा तहसील खण्डार
2. भगवती पूत्र मूलचन्द ब्राहमण निवासी बहरावण्डा कलां पदेन सचिव ग्राम पंचायत गोठडा तहसील खण्डार जिला सवाई माधोपुर

.....अप्रार्थी

उपस्थित – वकील प्रार्थी श्री जगन्नाथ चौधरी एडवोकेट
वकील अप्रार्थी श्री हरिमोहन जाट एडवाकेट

निर्णय

दिनांक 11.07.2024

प्रार्थी ने यह अवमानना प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 39 नियम 2 एवं सपठित धारा 151 सी.आर.पी.सी. के तहत पेश किया है जिसमें संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी की कब्जेशुदा प्लाट ग्राम गोठडा में स्थित है जिसे प्रार्थी व प्रार्थी के भाई तुलसीराम ने जमीला बेवा बशीर व सलीम, पप्पू, छुटटन, गुडडू पि0 बशीर खा मुसलमान निवासी कस्बा खण्डार तहसील खण्डार से 60X60 फिट दिनांक 25.06.2006 को 26,850 रूपये में खरीद कर उसी वक्त कब्जा कर लिया। सन् 2002 से ही प्रार्थी का लगातार कब्जा चला आ रहा है। प्रार्थी के कब्जे के बावजूद ग्राम पंचायत गोठडा ने उक्त भूमि का पटटा तेजकरण त्रिवेदी को दे दिया था जिसकी निगरानी संख्या 4/15 स्वीकार की जाकर उस पर निर्णय प्रार्थी निगरानी गुजार के पक्ष में दिनांक 15.01.2016 को किया जाकर तेजकरण का पटटा निरस्त कर दिया तथा पत्रावली ग्राम पंचायत गोठडा को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित की कि विवादग्रस्त भूमि के संबंध में उभयपक्ष की सुनवाई व सबूत का समुचित अवसर देते हुए पंचायत नियमों की पालना करते हुए पुनः नये सिरे से निर्णय पारित किया जावे। श्रीमान के आदेश दिनांक 15.01.16 की सरपंच ग्राम पंचायत गोठडा ने खुली अवहेलना की तथा नये सिरे से पुनः निर्णय श्रीमान के आदेश के वाबजूद तेजकरण विपक्षी ग्राम पंचायत में उपस्थित नहीं होने के बावजूद भी तीसरे पक्ष रामप्रसाद पुत्र काना जाट निवासी गोठडा से साज करके उसका कब्जा बता दिया जबकि प्लाट में रामप्रसाद का कोई लेनादेना नहीं है। उक्त प्लाट पर प्रार्थी का कब्जा होते हुए भी ग्राम पंचायत ने रामप्रसाद के पक्ष में प्रस्ताव पास कर दिया जिसकी निगरानी श्रीमानजी के न्यायालय में प्रस्तुत करने पर निर्णय दिनांक 05.04.19 के द्वारा पुनः पत्रावली सरपंच ग्राम पंचायत को उक्त प्रकरण

अति॰ जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

में निर्णय हेतु रिमाण्ड कर दी। यह कि श्रीमान के पुनः प्रकरण का निर्णय करने हेतु ग्राम पंचायत को भेजने के बावजूद भी ग्राम पंचायत ने आज तक भी निर्णय नहीं कर इस प्रकरण में जानबूझकर सरपंच गोठडा खुली अवहेलना कर रहे हैं। इस प्रकार न्यायालय हाजा के आदेश दिनांक 15.01.16 व 05.04.19 की पालना में अभी तक भी कोई निर्णय नहीं किया जाकर विपक्षीगण ने खुली अवहेलना की है । अप्रार्थी सरपंच व पदेन सचिव ने रामप्रसाद पुत्र काना जाट से साजिश रचकर उक्त श्रीमानजी के आदेशों की खुली अवहेलना जानबूझकर की है। अतः अप्रार्थीगण को आदेश दिनांक 15.01.16 व 5.4.19 की खुली अवहेलना करने पर कारावास से दण्डित किये जाने का निवेदन किया गया।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर अप्रार्थीगण को तलवी जरिये नोटिस की गई। अप्रार्थीगण जरिये वकील उपस्थित हुए। प्रकरण में वकील अप्रार्थी द्वारा प्रार्थी से साक्ष्य जिरह की गई। वकील प्रार्थी ने अप्रार्थीगण से साक्ष्य जिरह करने से इन्कार करने पर प्रकरण में वकील उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित कर दौराने बहस तर्क दिया कि प्रार्थी की कब्जेशुदा प्लाट ग्राम गोठडा में स्थित है भूमि पर प्रार्थी का सन् 2002 से ही लगातार कब्जा चला आ रहा है। उक्त भूमि को प्रार्थी व प्रार्थी के भाई तुलसीराम ने जमीला बेवा बशीर व सलीम, पप्पू, छुटटन, गुडडू पि0 बशीर खा मुसलमान निवासी कस्बा खण्डार तहसील खण्डार से 60X60 फिट दिनांक 25.06.2006 को 26,850 रूपये में खरीद कर उसी वक्त कब्जा कर लिया। उक्त भूमि में एक कच्चा घर भी बना हुआ था इस भूमि पर प्रार्थी ने 5 ट्रोली पत्थर डालकर चारो तरफ पत्थरों की खडकवा बाउण्ड्री कर रखी है तथा तब से अब तक उक्त भूमि पर प्रार्थी का लगातार कब्जा चला आ रहा है। प्रार्थी के कब्जे के बावजूद ग्राम पंचायत गोठडा ने उक्त भूमि का पटटा तेजकरण त्रिवेदी को दे दिया था जिसकी निगरानी पटटे के विरूद्ध प्रार्थी ने न्यायालय हाजा में की जो निगरानी संख्या 4/15 स्वीकार की जाकर उस पर निर्णय प्रार्थी निगरानी गुजार के पक्ष में दिनांक 15.01.2016 को किया जाकर तेजकरण का पटटा निरस्त कर दिया तथा पत्रावली ग्राम पंचायत गोठडा को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित की कि विवादग्रस्त भूमि के संबंध में उभयपक्ष की सुनवाई व सबूत का समुचित अवसर देते हुए पंचायत नियमों की पालना करते हुए पुनः नये सिरे से निर्णय पारित हो। यह कि श्रीमान के आदेश दिनांक 15.01.16 की सरपंच ग्राम पंचायत गोठडा ने खुली अवहेलना की तथा नये सिरे से पुनः निर्णय श्रीमान के आदेश के वाबजूद तेजकरण विपक्षी ग्राम पंचायत में उपस्थित नहीं होने के बावजूद भी तीसरे पक्ष रामप्रसाद पुत्र काना जाट निवासी गोठडा से साज करके उसका कब्जा बता दिया जबकि प्लाट में रामप्रसाद का कोई लेनादेना नहीं है। उक्त प्लाट पर प्रार्थी का कब्जा होते हुए भी ग्राम पंचायत ने रामप्रसाद के पक्ष में प्रस्ताव पास कर दिया जिसकी निगरानी प्रार्थी ने श्रीमानजी के न्यायालय में प्रस्तुत की जिसका निर्णय दिनांक 05.04.19 को किया जाकर पुनः पत्रावली सरपंच ग्राम पंचायत को उक्त प्रकरण में निर्णय हेतु रिमाण्ड कर दी। यह कि श्रीमान के पुनः प्रकरण का निर्णय करने हेतु ग्राम पंचायत को भेजने के बावजूद भी ग्राम पंचायत ने आज तक भी इस प्रकरण में जानबूझकर सरपंच गोठडा खुली अवहेलना कर रहे हैं। आदेश दिनांक

अति. जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

15.01.16 व 05.04.19 की विपक्षीगण ने खुली अवहेलना की है तथा प्रकरण में अभी तक भी कोई निर्णय नहीं किया है। अप्रार्थी सरपंच व पदेन सचिव ने रामप्रसाद पुत्र काना जाट से साजिश रचकर उक्त श्रीमानजी के आदेशों की खुली अवहेलना जानबूझकर की है। उक्त प्रकरण में आदेशों की पालना हेतु श्रीमान को व जिला कलेक्टर महोदय को प्रार्थी कई मर्तबा प्रा0पत्र प्रस्तुत कर चुका है। श्रीमानजी ने भी सतर्कता को निर्देश दिये थे कि बीडीओ खण्डार को लिखे कि पुलिस इमदाद से विपक्षी का रामप्रसाद का कब्जा हटवावें। इसके बावजूद भी विकास अधिकारी ने भी इस संबंध में कोई कार्यवाही नहीं की। इसी संबंध में प्रार्थी ने दिनांक 8.8.19 को श्रीमानजी के यहां उक्त निर्णय की पालना हेतु प्रा0पत्र प्रस्तुत किया जिस पर श्रीमानजी ने कार्यवाही हेतु सरंपच ग्राम पंचायत गोठडा को अविलम्ब कार्यवाही करने हेतु बोल दिया। अन्त में वकील प्रार्थी ने अप्रार्थीगण को आदेश दिनांक 15.01.16 व 5.4.19 की खुली अवहेलना करने पर कारावास से दण्डित किये जाने का निवेदन किया गया।

वकील अप्रार्थी द्वारा बहस में वकील प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत तथ्यों का खंडन करते हुए तर्क दिया गया कि श्रीमान के आदेश की पालना में दिनांक 11.05.2017 को आयोजित ग्राम पंचायत गोठडा पंचायत समिति खण्डार में पंचों की बैठक की कार्यवाही के विवरण का रजिस्टर की प्रति के प्रस्ताव संख्या 03 पर सर्व पंचों की सहमति से निर्णय लिया गया है। प्रार्थी द्वारा न्यायालय हाजा में सरपंच मिन्तोष के खिलाफ अवमानना का प्रकरण पेश किया गया है जबकि सरपंच मिन्तोष को सरपंच के पद से हटे हुए पांच साल हो गये है एवं सेकेट्री भगवती प्रसाद का भी स्थानान्तरण हो चुका है। श्रीमान के आदेश के बाद कोराना काल चलने तथा उसके बाद में सरपंच के पद पर अन्यत्र व्यक्ति चुने जाने के कारण श्रीमान के आदेश की पालना नहीं की जा सकी है। अतः अवमानना प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

उभय पक्ष की बहस सुनने व पत्रावली में सलंग्न दस्तावेजात का ध्यान पूर्वक अध्ययन एवं मनन करने के पश्चात मै इस निष्कर्ष पर पहुॅचा हूॅ प्रार्थी ने अवमानना प्रार्थना पत्र पूर्व सरपंच मिन्तोष के खिलाफ पेश किया है जबकि उक्त सरपंच को पद से हटे हुए पांच साल हो चुके है। न्यायालय हाजा के आदेश दिनांक 15.01.16 की पालना में ग्राम पंचायत गोठडा द्वारा दिनांक 11.05.17 को पंचो की बैठक कार्यवाही विवरण रजिस्टर के प्रस्ताव संख्या 3 पर सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया तथा न्यायालय हाजा के आदेश दिनांक 5.4.19 की पालना कोसना काल रहने तथा उसके बाद सरपंच का चुनाव होने से अन्यत्र व्यक्ति सरपंच चुने जाने के कारण आदेश दिनांक 5.4.19 की पालना नहीं करवा पाने के जवाब से मैं सहमत हूं। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत अवमानना प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जाता है तथा अप्रार्थी की सजा माफ की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 11.7.24 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(जगदीश आर्य)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
सवाईमाधोपुर